

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/3775/

जबलपुर, दिनांक 23/08/2018

श्रीमती रिचा मिश्रा, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 09.07.18 से 04.01.19 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही/-
(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/3776/

जबलपुर, दिनांक 23/08/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आईटी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. अनुभाग अधिकारी लेखा / पेशान, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सहायक अवकाश / वेतन पत्रक / सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती रिचा मिश्रा, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(दीपेश तिवारी)
रजिस्ट्रार (न्या.-दो)